मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्र. **दिनांक 03 जुलाई 2025**

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त आयुक्त नगर निगम,
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग,
समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।

विषय: नागरिकों की समग्र आईडी में विभिन्न जानकारियों को संशोधित करने हेतु निर्धारित प्रक्रियाएँ ।

संदर्भ: वि.एवं प्रौ. विभाग का पत्र क्र SNT/14/0025/2023/41-2, दिनांक 07/04/2025.

प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से समग्र आईडी में संशोधन संबंधी अनुरोध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होते हैं, जिनका निराकरण अलग- अलग प्रक्रिया अनुसार किया जाता रहा है। विभाग द्वारा इस संबंध में निम्नानुसार नवीन प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाती हैं –

क्र.	कार्य	वांछित संशोधन	अनिवार्य दस्तावेज	निर्धारित प्रक्रिया
1	परिवार विलय	परिवार विलय	अनुरोधकर्ता एवं नए परिवार के मुखिया के बीच संबंध प्रमाणित करने वाले संबंधित दस्तावेज़	• प्रक्रिया की निर्धारित सीमा केवल एक बार • परिवार विलय की अनुमति केवल निम्न में से किसी एक कारण हेतु रहेगी : I. विवाह के बाद दुल्हन का दूल्हे के परिवार में शामिल होना II. विवाह के बाद दूल्हे का दुल्हन के परिवार में शामिल होना (घर जमाई) III. कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लेना IV. बुजुर्ग माता-पिता/दादा-दादी को परिवार में शामिल करना V. बुजुर्ग माता-पिता या दादा-दादी का देखभाल के लिए बच्चों/पोते-पोतियों को परिवार में जोड़ना VI. संयुक्त परिवार का पुनर्गठन VII. पारिवारिक विवादों के बाद परिवार के सदस्यों का पुनः एकजुट होना • परिवार विलय की शर्तें- I. जिस परिवार में शामिल होना है उसके मुखिया का OTP सत्यापन से सहमित प्राप्त करना II. आवेदक एवं समस्त परिवार सदस्यों का e-KYC अनिवार्य होगा । III. दोनों परिवारों में कोई भी सदस्य

				डुप्लीकेट नहीं होना। IV. परिवार प्रमुख के साथ संबंध को परिभाषित किया जाना । • सचिव/वार्ड प्रभारी एवं सीईओ/सीमओ का e-Auth अनिवार्य होगा। • विलय का निर्धारित कारण **ऑनलाइन प्रक्रिया :** • **ग्राम पंचायत /वार्ड द्वारा किया गया प्रेषित अनुरोध** • **सत्यापन व अनुमोदन - स्थानीय निकाय द्वारा (सीईओ/सीएमओ)**
2.	पिता या माता के नाम में परिवर्तन, निर्धारित सीमा पार करने पश्चात् निर्धारित सीमा - (1 बार)	पिता या माता के नाम में संशोधन	कलेक्टर द्वारा अनुशंसा किया हुआ पत्र। दस्तावेज जिनमे पिता के नाम का उल्लेख हो जैसे कि • **पिता के नाम हेतु -** ड्राइविंग लाइसेंस/ 10 अथवा 12 वी की अंकसूची/पेन कार्ड/वोटर कार्ड/ CRS द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र/पासपोर्ट • **माता के नाम हेतु –** 10वींअथवा 12वीं की अंकसूची/ CRS द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र / पासपोर्ट	• एक से अधिक बार संशोधन हेतु आवेदक का आवेदन पत्र के आधार पर कलेक्टर का अनुशंसा पत्र अनिवार्य होगा। **ऑफलाइन प्रक्रिया :** • **कलेक्टर द्वारा प्रेषित अनुशंसा पत्र के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विज्ञान प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा समीक्षा पश्चात अनुमोदन एवं आवश्यक सुधार किया जाएगा ।**
3.	समग्र परिवार और सदस्य कार्ड प्रिंटिंग	समग्र परिवार और सदस्य कार्ड प्रिंटिंग	-	• समस्त सदस्यों का ई- केवाईसी अनिवार्य **ऑनलाइन प्रक्रिया :** • **नागरिक द्वारा पोर्टल के माध्यम से कार्ड प्रिंट किया जा सकेगा ।** • **सदस्य आईडी प्रविष्ट करने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा ।** • **पूर्व में किसी अन्य परिवार से विभाजित होकर इस परिवार में विलय हुई है, इसकी जानकारी कार्ड में प्रदर्शित की जायेगी ।**

4.	एक ही आधार का 2 समग्र आईडी पर लिंक होना	एक आधार का 1 ही समग्र आईडी पर लिंक होनाअनुमत होगा।	-	• एक आधार को केवल एक ही समग्र आईडी पर लिंक किया जाना अनिवार्य होगा । • डुप्लीकेट आधार के प्रकरणों वाले समग्र आईडी पोर्टल पर ब्लॉक किए जायेंगे। • ज़िलों को डुप्लीकेट आधार के प्रकरणों की सूची उचित कार्यवाही कर एवं जानकारी प्रेषित की जायेगी। • डुप्लीकेट आधार के प्रकरणों पर दर्ज मोबाइल नंबर पर नागरिकों को SMS द्वारा सूचित किया जाएगा कि वे तुरंत आधार डी-लिंक की प्रक्रिया करें।
5.	**निम्नलिखित समग्र संबंधी प्रक्रियाओं में कार्यालयीन यूजर (अधिकारी/कर्मचारी) का e-Auth सत्यापन** a. **ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी की प्रक्रिया :** 1) नए परिवार बनाने हेतु अनुशंसा एवं अनुमोदन 2) मौजूदा परिवार में नए सदस्य बनाने हेतु अनुशंसा एवं अनुमोदन 3) परिवार विभाजन अनुरोध एवं अनुमोदन 4) सदस्यों का विलय हेतु अनुरोध एवं अनुमोदन 5) सदस्य एवं परिवार को डिलीट करना 6) पता/ धर्म/मोबाइल नंबर/ मुखिया के साथ संबंध आदि जानकारी का अद्यतन करना । b. **स्थानीय निकाय (सीईओ/सीएमओ) द्वारा प्रक्रियायें -** 1) डिलीट आईडी को पुनर्प्राप्त करना 2) कर्मचारी का पद अद्यतन 3) कर्मचारी को भूमिका प्रदान करना 4) कर्मचारी को कार्यमुक्त करना 5) कर्मचारी को पुनः जोड़ना 6) मुखिया के साथ	सभी SPR यूज़र्स का e-Auth • यूजर हेतु ऑनलाइन आधार e-Auth (विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु निर्धारित दस्तावेज अनुसार)		इन प्रक्रियाओं के लिए कर्मचारी/ उपयोगकर्ता एवं (सीईओ/सीएमओ/GRS/सचिव) का ई-प्रमाणीकरण अनिवार्य (पूर्व में/ वर्तमान में किसी भी स्तर पर यूजर का e-Auth सत्यापन नहीं किया जा रहा है।)

	संबंध अद्यतन			
6.	वैवाहिक स्थिति में संशोधन	विवाहित से अविवाहित	• कलेक्टर द्वारा स्पष्ट अनुशंसा किया हुआ पत्र	**ऑफलाइन प्रक्रिया:** • **कलेक्टर द्वारा प्रेषित स्पष्ट अनुशंसा पत्र एवं सहायक दस्तावेज के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विज्ञान प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा समीक्षा पश्चात अनुमोदन एवं आवश्यक सुधार किया जाएगा ।**

7.	समग्र आईडी (जिसमे पता और मोबाइल नंबर का न होना)	समग्र आईडी (जिसमे पता और मोबाइल नंबर का न होना)	-	समग्र डेटाबेस से ऐसा डेटा जिसमें समग्र आईडी में पता और मोबाईल नंबर न हो, (इनमें ऐसे डेटा भी जिनमें ई- केवाईसी नहीं है या ई- केवाईसी/आधार सीडिंग है) की पहचान कर ज़िलों को सत्यापन हेतु प्रेषित किया जाये एवं जिला स्तर पर सत्यापन किया जाये।

(संजय दुबे)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र.
दिनांक 03 जुलाई 2025

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल, म.प्र.।
4. संचालक/आयुक्त,पंचायती राज संचालनालय, भोपाल, म.प्र.।.
5. प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल, म.प्र.।

(संजय दुबे)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग